भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 885

दिनांक 28 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

885. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा इनके लिए कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत गोदावरी नदी में प्रदूषण नियंत्रण हेतु वित्त पोषण बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, क्योंकि वर्तमान आवंटन अपर्याप्त है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने गोदावरी नदी में प्रदूषण के संबंध में तेलंगाना और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों से संपर्क किया है, यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों की यह प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि वे घरेलू अपशिष्ट जल और औद्योगिक अपशिष्टों को प्राप्तकर्ता जल निकायों या भूमि में छोड़ने से पहले, उनमें प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। गंगा बेसिन को छोड़कर देश में नदियों/सहायक नदियों के संरक्षण के लिए, मंत्रालय लागत साझेदारी के आधार पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के कार्यान्वयन के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। एनआरसीपी के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में, गोदावरी, तापी, कृष्णा, पंचगंगा, मुला मुथा और नाग नदियों के संरक्षण के लिए कुल 3109.85 करोड़ रुपये की लागत से प्रदूषण निवारण कार्यों की मंजूरी दी गई।

(ख): नासिक नगर निगम ने एनआरसीपी के अंतर्गत नासिक में गोदावरी नदी के प्रदूषण निवारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावों का मूल्यांकन उनकी प्राथमिकता,

एनआरसीपी दिशानिर्देशों की अनुरूपता, स्वतंत्र मूल्यांकन, योजना निधि की उपलब्धता, परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परियोजना लागत में अपने-अपने हिस्से का वहन करने की प्रतिबद्धता तथा संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय आदि के आधार पर किया जाता है।

(ग): देश में नदियों के प्रदूषण आकलन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, देश की 279 नदियों के 311 प्रदूषित खंडों की पहचान की गई है, जिनमें महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में गोदावरी नदी का एक-एक खंड भी शामिल है। देश में प्रदूषित नदी खंडों के संबंध में मूल आवेदन संख्या 673/2018 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में उक्त खंडों के जीर्णोद्धार के लिए कार्य योजनाओं को लागू करना आवश्यक है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ प्रगति की समीक्षा की जाती है।

*****